



कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर
व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)-492002
Phone No.- 0771-2972780, Fax No.- 2972782,
Website- <https://vyapam.cgstate.gov.in>

क्रमांक/व्यापम/2024/166

रायपुर, दिनांक 19.01.24

प्रेस विज्ञप्ति

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के अंतर्गत
प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा (HELT24) के सम्बंध में

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर, (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/766/251/आउशि/अराज.स्था/2023 दिनांक 04.10.2023, पत्र क्रमांक/788/251/आउशि/अराज.स्था/23 दिनांक 11.10.2023 एवं पत्र क्रमांक/19/251/आ.उ.शि./अराज.स्था./23 दिनांक 17.01.2024 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे -

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि - 19.01.2024 (शुक्रवार)
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि - 18.02.2024 (रविवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3. त्रुटि सुधार - 19.02.2024 से 21.02.2024 तक

उक्त भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के सम्बंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किये जाने के सम्बंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 10-2 /2022/एक(1), दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।

विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि एवं परीक्षा का समय व्यापम की वेबसाइट पर बाद में घोषित की जायेगी।

कृपया उक्त विज्ञप्ति परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर

—:: विज्ञापन ::—

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-92/2021/38-1, नवा रायपुर दिनांक 04.08.2023 द्वारा सीधी भरती के रिक्त पदों को भरने की सहमति उपरांत ऑनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

1. रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रं.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रयोगशाला तकनीशियन	109	32	83	36	33	9	25	11	11	3	8	4	18 (OL, HH)	260

टीप - उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

2. पदनाम तथा वेतनमान: -

(क) प्रयोगशाला तकनीशियन

सेवा श्रेणी - तृतीय

वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 (25300-80500/-)

नोट :- वेतन एवं भत्ते की पात्रता वित्त निर्देश 33/2023 दिनांक 12.09.2023 एवं समय-समय पर जारी शासन के नियमानुसार/निर्देशानुसार होगी।

3. परीक्षा अवधि :-

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर दिनांक 08.03.2021 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।

4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें :-

(क) प्रयोगशाला तकनीशियन -

1. अनिवार्य :- स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय।

(भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।)

2. वांछनीय :- हिन्दी मुद्रलेखन का अनुभव।

5. आयु सीमा-

आयु सीमा की गणना छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.06.2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिकतम आयु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 अनुसार 40 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगी।

HELT23


4/10

6. शर्त :-

- I. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- II. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- III. प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा।
- IV. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
- V. नियुक्ति आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा ही जारी किये जायेंगे। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।
- VI. चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (महाविद्यालयीन सेवा) भरती एवं पदोन्नति नियम, 1974 के अधीन यथा संशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार होगी।
- VII. भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।
- VIII. महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किये जायेंगे वरन् उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है।
- IX. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- X. चयन सूची में नियुक्ति छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये यथास्थिति उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संधारित रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

7. चयन प्रक्रिया :-

- I. प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।
 - II. निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
8. आवेदन पत्र :- आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं या नहीं ? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा।


4/10